भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3362

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा कर्मियों की कमी का आकलन

†3362. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल, वारंगल सहित केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सिंग अधिकारियों और पराचिकित्सा कर्मियों की कमी का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत संख्या, पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भर्ती, संविदा पर नियुक्तियां और अन्य उपायों सहित सरकार द्वारा ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या तेलंगाना सरकार से ऐसे संस्थानों में मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल' राज्य के विषय हैं। मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तेलंगाना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार

उपलब्ध संसाधनों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के माध्यम से प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। तेलंगाना में स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों के उन्नयन हेतु प्रदान की गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है—

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=60&lid=73

केंद्र सरकार के अंतर्गत चिकित्सकों, विशेषज्ञों, नर्सिंग अधिकारियों तथा पैरामेडिकल वृत्तिकों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत कार्मिकों की संख्या एवं रिक्तियों का विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है—

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों, विशेषज्ञों तथा नर्सिंग कर्मियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा कार्मिकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन एवं मानदेय प्रदान किए जाते हैं—

- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता तथा उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है, जिससे कि उन्हें ऐसे क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएँ देना आकर्षक लगे।

- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन प्रसव की सुविधा हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों, आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) में प्रशिक्षित चिकित्सकों, शिशु रोग विशेषज्ञों तथा जीवनरक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) में प्रशिक्षित एनेस्थेटिस्ट चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) सुनिश्चित करने एवं उसका रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु सहायक नर्स एवं दाई (एएनएम) को प्रोत्साहन तथा किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के संचालन हेतु विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए निगोशिएबल वेतन प्रदान करने की अनुमति भी है, जिसमें "आप वेतन बताइए, हम भुगतान करेंगे" जैसी लचीली कार्यनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं।
- दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं में सुधार जैसे गैर-आर्थिक प्रोत्साहन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किए गए हैं।

- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सकों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु एनआरएचएम के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक और प्रमुख कार्यनीति है।
